

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत /कैम्प कोर्ट सहारणी)

1. अग्रसेन पुत्र सुभाषचन्द्र जाति जाट (झोरड़) निवासी सहारणी तहसील टिब्बी।

-वादी

बनाम

1. सुभाषचन्द्र पुत्र ख्यालीराम जाति जाट (झोरड़) निवासी सहारणी तहसील टिब्बी।
2. प्रियंका पत्नी जगदीश पुत्री सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. श्रीयंका पत्नी नरेश पुत्री सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी मोटा पन्नीवाली तहसील व जिला सिरसा।
4. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

- प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर:-149/2018

अन्तर्गत धारा:-88,53 आरटीए

निर्णय दिनांक:-18.5.2018

वादी की ओर से रूपराम कासनियां एडवोकेट व प्रतिवादीगण की ओर से श्री अरविन्द नेण एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18.5.2018 को उम्मेदसिंह रतनू उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-प्रतिवादी संख्या 1 सुभाषचन्द्र के नाम से चक नं. 5 सीडीआर के खाता संख्या 91/91 में जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में प.नं. 226/232 मु.नं. 20 कि.नं.1,2,3,9,10,11,12,19,20,21 कुल 2.530 है.दर्ज कागजात है में से वादी अग्रसेन को प.नं. 226/232 मु.नं.20 कि.नं. 11,12,19,20,21 कुल 1.265 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खाता विभाजन किया जाकर रकम राज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार प्रतिवादी संख्या 1 सुभाषचन्द्र का हिस्सा कम किया जाकर शेष हिस्सा 1.265 है. प्रतिवादी संख्या 1 यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में वादी के नाम से अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

यह आज तारीख 18.5.2018 राजस्व लोक अदालत अभियान ग्राम पंचायत सहारणी में मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, टिब्बी



वाद के खर्चे	वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प		1100/-	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		0	अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		0	प्लीडर की फीस	0
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		0	आदेशिका की तामील	0
6 कमिश्नर की फीस		0	कमिश्नर की फीस	0
7 आदेशिका की तामील		1100/-	जोड़	0
जोड़				